

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,

जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 320 / 12

संस्थित दिनांक -17 / 04 / 12

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना रूपझर

जिला बालाघाट म0प्र0

अभियोगी

// विरुद्ध //

डिमरु देशमुख वल्द मिठाईलाल देशमुख

उम्र 55 वर्ष नि0-टेकाड़ी थाना भरवेली-

जिला बालाघाट म0प्र0

आरोपी

::निर्णय::

{ दिनांक 04 / 10 / 2016 को घोषित }

1. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337(चार बार) भा.द.वि. के अंतर्गत यह आरोप है कि अभियुक्त ने दिनांक 13/02/2012 को समय 02:00 बजे दिन में मोहनपुर लत्ता तिराहा थाना रूपझर जिला बालाघाट में वाहन ट्रक क्रमांक एम.यू.जे.180 को लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक कमाण्डर को टक्कर मारकर हरिशंकर, श्यामबतीबाई, धनीराम एवं सुरपत को साधारण उपहति कारित की।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी विमल कटरे ने चौकी सोनेवानी थाना रूपझर में सूचना सूचना दी कि दिनांक 13.02.2012 दिन सोमवार को वह अपनी कमाण्डर से बजारी से चालीस बोडी जा रहा था। करीब दो बजे दिन में जैसे ही मोहनपुर लत्ता तिराहा पहुँचा तो लत्ता तरफ से ट्रक क्रमांक एम.यू.जे. 180 तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और कट मारकर उसे कमाण्डर से टकरा दिया जिससे उसकी कमाण्डर दाहिने साईड में पिचक गयी एवं उसमें सवार हरिशंकर, सुरपतसिंह, धनीराम एवं श्यामबतीबाई को चोटें आयी। घटना की सूचना प्रार्थी द्वारा दिये जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घायलों का मुलाहिजा शासकीय चिकित्सालय बालाघाट से कराया गया। घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त न्यायालय में धारा 279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन पेश किया गया।

3. न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ धारा 279, 337(चार बार) भा. दं.वि. के अंतर्गत अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा। आरोपी का अभिवाक उसके शब्दों में अंकित किया गया। आरोपी ने धारा 313 द.प्र.सं के अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुए बचाव साक्ष्य न देना प्रकट किया।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 13/02/12 को समय 2:00 बजे दिन में मोहनपुर लत्ता तिराहा थाना रूपझर लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.यू.जे. 180 को उतावेलपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- (2) क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर कमाण्डर को टक्कर मारकर हरिशंकर, श्यामबतीबाई, धनीराम और सुरपतसिंह को उपहति कारित की ?

#### **::सकारण निष्कर्ष::**

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, तथा 2

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. प्रार्थी विमल कटरे (अ.सा.1) का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना लगभग तीन माह पूर्व दोपहर के समय की है वह अपने घर की गाड़ी टाटा सूमो चलाते हुए बालाघाट से अपने गांव मोहनपुर आ रहा था। गांव पहुंचने के लगभग तीन कि०मी० पहले जंगल वाले क्षेत्र में आरोपी मोड़ से निकालकर ट्रक को लाया और सड़क किनारे खड़ी टाटा सूमो को टक्कर मार दिया। टक्कर लगने से उसके साथ बैठे हुये सजय को चोट आयीं ट्रक वाले की गलती से घटना घटी थी। उसने घटना के दिन ही जाकर सोनेवानी चौकी में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी०1 दर्ज कराया था तथा उसी दिन उसकी निशादेही पर मोकानक्शा प्र.पी०2 बनाया गया था। उक्त दस्तावेजों के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

6. घटना की पुष्टि मोतनबाई (अ.सा.2) जितेन्द्र (अ.सा.3), तथा कुन्ता कटरे (अ.सा.4) ने की है। मोतनबाई (अ.सा.2) के अनुसार घटना दिनांक को वह जीप में बैठकर बालाघाट से मोहनपुर आ रहे थे। उनकी जीप जैसे ही डोकरी घाट लत्ता तिराहा के पास पहुंची तो सामने से ट्रक वाले ने जीप को

ठोस मार दिया था। उसे डिमरु नामक व्यक्ति चला रहा था। दुर्घटना ट्रक चालक की गली से हुई थी। जिसमें उसे माथे पर चोट आयी थी।

7. जितेन्द्र कुमारे (अ.सा.3) के अनुसार घटना दिनांक को वह विमल कटरे की जीप में बैठकर मोहनपुर जा रहा था। उनकी जीप डोकरी घाट पर धीरे-धीरे चढ़ रही थी तभी ट्रक जिसे आरोपी चला रहा था, ने आकर जीप का टक्कर मार दिया। दुर्घटना ट्रक चालक की गलती से हुई थी। जिसमें उसे गले में हल्की चोट आयी थी। कुंताबाई (अ.सा.4) के अनुसार घटना दिनांक को वह विमल कटरे की जीप में बंजारी से मोहनपुर जाने के लिए बैठी थी उनकी जीप मोहनपुर के पहले मोड़पर चढ़ रही थी तो सामने से आ रहा ट्रक जिसे आरोपी चला रहा था, ने जीप को टक्कर मार दिया था उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी।

8. घटना के आहतगण श्यामबतीबाई (अ.सा.5), धनीराम (अ.सा.6) और हरिशंकर (अ.सा.9) ने घटना का आंशिक समर्थन किया है। जबकि अन्य आहत सुरपत (अ.सा.7) ने घटना से स्पष्ट इन्कार किया है। श्यामबतीबाई (अ.सा.5) के अनुसार घटना दिनांक को कमाण्डर वाहन में बैठकर वह चालीस बोड़ी बाजार जा रही थी। जैसे ही उनका वाहन डोकरी घाट पहुंचा तो सामने से आते ट्रक ने कमाण्डर को टक्कर मार दिया था जिससे कमाण्डर वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में उसे घुटने में चोट आयी थी। वह चालक को नहीं जानती है।

9. धनीराम (अ.सा.6) के अनुसार घटना दिनांक को वह बंजारी चौक से कमाण्डर वाहन में बैठकर चालीस बोड़ी जा रहा था। डोकरी घाट के पास सामने से आते हुए ट्रक द्वारा उनकी कमाण्डर की टक्कर हो गयी थी जिसमें उसे दाहिने पैर में चोट आयी थी।

10. डा. डी.सी. धुर्वे (अ.सा.8) के अनुसार दिनांक 13.02.2012 को उनके द्वारा आहत हरिशंकर का परीक्षण करने पर दाहिने हाथ की छोटी अंगुली पर घाव तथा दोनों घुटनों एवं दाहिने कंधे पर सूजन एवं टेंडरनेस पाया गया था। जिसकी रिपोर्ट प्र.पी.4 है। आहत श्यामबतीबाई का परीक्षण करने पर दाहिनी कोहनी और दाहिने घुटने पर खरोच एवं कंटीयूजन पाया था जिसकी रिपोर्ट प्र. पी05 है। आहत धनीराम का परीक्षण करने पर दाहिने एवं बायें पैर तथा बांयी कोहनी पर खरोच कंटीयूजन पाया था जिसकी रिपोर्ट प्र.पी06 है। आहत सुरपत के माथे पर चोटें रिपोर्ट प्र.पी07 के अनुसार पायी थी उक्त रिपोर्ट के ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी के अनुसार उक्त सभी चोटें सामान्य प्रकृति की होकर मुलाहिजा के छः घण्टे के भीतर की थी तथा कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना संभावित थी।

11. नरेन्द्र उइके (अ.सा.11) के अनुसार दिनांक 13.02.2012 पुलिस चौकी सोनेवानी थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थापना के दौरान उसके द्वारा विमल कटरे की सूचना पर ट्रक क्रमांक एम.यू.जे. 180 के चालक डिमरू देशमुख के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/12 धारा 279, 337 भा.द. वि. कायम कर असल नम्बरी हेतु अपराध क्रमांक 16/12 लेख किया गया था जो प्र.पी01 है तथा उक्त दिनांक को ही प्रार्थी की निशादेही पर मोकानक्शा प्र. पी02 तैयार किया था उक्त दिनांक को आहतगण हरिशंकर, श्यामबतीबाई, धनीराम एवं सुरपत तेकाम का मुलाहिजा फार्म भरकर मुलाहिजा हेतु बालाघाट भिजवाया गया था जो प्र.पी04 लगायत प्र.पी07 है। उक्त दस्तावेजों के बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा साक्षी विमल कटरे, जितेन्द्र, मोतनबाई, कुन्ताबाई, धनीराम, श्यामबतीबाई, हरिशंकर, सुरपत तेकाम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

12. उक्त साक्षी के अनुसार उसके द्वारा घटना दिनांक को घटना स्थल पर गवाहों के समक्ष ट्रक क्रमांक एम.यू.जे.180 को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी10 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी12 बनाया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 16.02.2012 को आरोपी डिमरू देशमुख को गवाहों के समक्ष वाहन दस्तावेज एक जलाउ लकड़ी कटिंग चलान काटकर तीन प्रतियों में जप्ती पत्रक प्र.पी11 जप्त किया था जिसके ए से ए भाग पर साक्षी एवं बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा वाहन क्रमांक एम.यू.जे. 180 मैकेनिकल परीक्षण चौकी में परीक्षण कर्ता दिलीप कुमार से करवाया गया था।

13. जप्ती साक्षी हंसलाल (अ.सा.12) ने जप्ती से स्पष्ट इंकार कर जप्ती पत्रक प्र.पी10 पर अंगूठा लगाने से इंकार किया है। इसी प्रकार दिलीप (अ.सा.10) ने वाहन परीक्षण से इंकार कर वहां परीक्षण प्र.पी9 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होने से अस्वीकार किया है। तथापि उपरोक्त समस्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को आरोपी के ट्रक और प्रार्थी की जीप में टक्कर होने से आहतगण को चोटें आयी थीं। अब यह देखा जाना है कि क्या आरोपी द्वारा वहां को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की गयी है। विमल कटरे (अ.सा.1) के अनुसार जहां पर दुर्घटना कारित हुई वहां पर मोड़ व आसपास घने जंगल है जिससे दोनों तरफ से आने वाली गाड़ी एक दूसरे को दिखायी नहीं देती हैं। ट्रक में लकड़ी भरी थी और ट्रक घाट से नीचे उतर रहा था जिस स्थान पर घटना कारित हुई वहां पर रोड़ सकरा होने की वजह से दोनों गाड़ी एक साथ पार नहीं हो सकती थीं।



14. उक्त कथन की पुष्टि मोतनबाई (अ.सा.2), जितेन्द्र (अ.सा.3) कुन्ताबाई (अ.सा.4) ने की है जिसके अनुसार घटना स्थल मोड़ होने के कारण सामने से और पीछे से आने वाला वाहन नहीं दिखता मोतनबाई (अ.सा.2) और जितेन्द्र (अ.सा.3) ने ट्रक में लकड़ी भरे होने की बात की है। घटना के आहत साक्षीगण श्यामबतीबाई (अ.सा.5) और धनीराम (अ.सा.6) के अनुसार कमाण्डर चालक तेज गति से वाहन चला रहा था और उसके सामने से आ रहे ट्रक को टक्कर मार दिया था जबकि हरिशंकर (अ.सा.9) के अनुसार विलम्ब होने के कारण जीप वाला तेज गति से चला रहा था।

15. मौकानक्शा प्र.पी02 के अवलोकन से यह दर्शित है कि घटनास्थल मोड़ है ट्रक में लकड़ी भरी होने, जीप घाट पर चढ़ने ओर ट्रक घाट से उतरने के तथ्यों की साक्षियों ने पुष्टि की है। परंतु ट्रक के तेजगति से होने और ट्रक चालक की गलती होने के संबंध में साक्षियों के अपुष्ट कथन हैं। मात्र ट्रक चालक की गलती होने के कथन कर देने से यह नहीं कहा जा सकता कि दुर्घटना ट्रक चालक की गलती से हुई थी। क्योंकि यह दर्शित ही नहीं है कि ट्रक चालक की गलती क्या थी। स्वयं आहत साक्षियों द्वारा जीप चालक के ही तेज गति से चलाकर दुर्घटना कारित करने के कथन किये हैं। उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक और घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जाय या ऐसी कोई लापरवाही बरती गयी जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था।

16. अभियोजन साक्षियों ने अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय ट्रक को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति तथा जानबूझकर लापरवाही से चलाने के संबंध में कोई तथ्य एवं परिस्थितियों प्रकट नहीं की है। यह संभव है कि मोड़ पर दिखायी न देने की वजह से वाहन टकरा गया हो। केवल जीप में बैठे लोगों को चोटें होने से यह उप धारणा नहीं की जा सकती कि टक्कर उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चलाने से हुई होगी। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई ऐसी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षा पूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानवीजीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं लापरवाही से चलाकर कमाण्डर को टक्कर मारकर हरिशंकर, श्यामबतीबाई, धनीराम एवं सुरपत को उपहति कारित की।

17. अतः अभियुक्त डिमरू देशमुख को भा.दं0सं0 की धारा 279, 337(चार बार), 304ए के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

18. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।

19. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन ट्रक क्रमांक एम.यु.जे.180वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

20. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)